सत्यमेव जयते
राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बून्दी (राज0)

पीठासीन अधिकारी :– शिवराज मीणा, आर.ए.एस. (उपखण्ड अधिकारी)

प्रकरण संख्याः– 186 / प्रा0पत्र / 2019 दायरा दिनांक :–15.11.2019

GCMS ID–2019 / 00487

उनवान

1. गोविन्दसिंह आ0 केसर सिंह जाति राजपूत निवासी ठीकरदा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी।

प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य द्वारा तहसीलदार साहब हिण्डोली जिला बून्दी।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र :– राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 251 (क) के तहत

वकील प्रार्थी :– श्री शम्भूदयाल शर्मा

वकील अप्रार्थी :– पेरोकार सरकार

आदेश

दिनांक : 23.06.2025

प्रार्थी का मुख्य रूप से कथन है कि प्रार्थी की कृषि भूमि खसरा संख्या 126 1 बीघा 16 बिस्वा, खसरा संख्या 126 / 2870 रकबा 6 बीघा 14 बिस्वा कुल किता 2 कुल रकबा 8 बीघा 10 बिस्वा वाके ग्राम ठीकरदा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी में स्थित है भूमि की नकल जमाबंदी संलग्न प्रार्थना पत्र है। प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित भूमि पर प्रार्थी शांतिपूर्वक काबिज काश्त चला आ रहा है। प्रार्थी की उक्त भूमि पर आने जाने हेतु रास्ता बना हुआ है। प्रार्थी की भूमि के पूर्वी साईड पर खेतों की सिंचाई व सिपेच का पानी निकलने हेतु पानी का धोरा बना हुआ है। प्रार्थी की भूमि खसरा संख्या 126 व 126 / 2870 पर ग्राम ठीकरदा की आबादी से आने हेतु रास्ता पूर्व में बना हुआ है जो सिवायचक भूमि खसरा संख्या 124मि0 की सीमा तक मौके पर बना हुआ है। खसरा संख्या 124मि में भी पूर्व में भी 15 फिट चौडा रास्ता बना हुआ था लेकिन पडोसी काश्तकारान ने खसरा संख्या 124मि0 में बने हुये रास्ते को हांक कर नष्ट कर दिया है जिससे प्रार्थी को अपनी भूमि पर आने जाने में दिक्कत आती है तथा पडौसी काश्तकार रास्ते पर निकलने में विवाद पैदा करते है इंस कारण प्रार्थी के पास अपनी भूमि पर जाने

Email- sdohindoli@gmail.com Phone no-7436276446

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

तु उक्त रास्ते को राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करवाने के अलावा अन्य कोई विकल्प शेष नहीं बचा है। प्रार्थी की भूमि पर आने वाला रास्ता सिवायचक भूमि खसरा संख्या 124मि0 की उत्तरी सीमा पर खसरा संख्या 124/3 के सहारे पूर्व से पश्चिम खसरा संख्या 126/2870 तक 15 फिट चौडा रास्ता बना हुआ था लेकिन उक्त रास्ता रिकॉर्ड में दर्ज नहीं होने से पडौसी व्यक्तियों ने रास्ते का स्वरूप मिटा दिया है ऐसी स्थिति में प्रार्थी उक्त रास्ते को रिकॉर्ड में दर्ज करवाने हेतु यह प्रार्थना पत्र आवेदन प्रस्तुत कर रहा है। प्रार्थी द्वारा घोषित करवाये जाने वाले रास्ते को नजरी नक्शा परिशिष्ट 'अ' में लाल स्याही से प्रदर्शित किया गया है जो प्रार्थना पत्र–आवेदन का अभिन्न अंग है। प्रार्थी को अधिकार प्राप्त है कि प्रार्थी भूमि खसरा संख्या 124मि0 सिवायचक की उत्तरी सीमा पर खसरा संख्या 124/3 के सहारे पूर्व से पश्चिम में खसरा संख्या 126/2870 तक 15 फिट चोडा रास्ता घोषित करवावे एवं राजस्व रिकॉर्ड में रास्ता दर्ज करवाकर रास्ते के रूप में तरमीम करवावे तथा सिवायचक खसरा संख्या 124मि0 का रकबा कम करवावे। प्रार्थी की भूमि पर प्रार्थी दिनांक 01.11.2019 को ट्रेक्टर को खसरा संख्या 124मि0 सिवायचक में होकर ले जाने लगा तो पडोसी काश्तकारान द्वारा बाधा उत्पन्न करने से प्रार्थी को उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुती का कारण उत्पन्न हुआ है। प्रार्थी रास्ते में अवाप्त की जाने वाली भूमि की प्रतिकर राशि नियमानुसार राज्य सरकार को जमा करवाने को तैयार है। प्रार्थी की भूमि पर आने जाने हेतु उक्त रास्ते के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है। श्रीमान को उक्त प्रार्थना पत्र का श्रवणाधिकार प्राप्त है। सिवायचक भूमि की स्वामी राज्य सरकार होने से तहसीलदार हिण्डोली को पक्षकार बनाया गया है। प्रार्थना पत्र/आवेदन निर्धारित न्याय शुल्क एवं तलबाने पर प्रस्तुत है। अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि प्रार्थी का आवेदन पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी की कृषि भूमि खसरा संख्या 126 रकबा 1 बीघा 16 बिस्वा, 126/2870 रकबा 6 बीघा 14 बिस्वा कुल किता 2 कुल रकबा 8 बीघा 10 बिस्वा वाके ग्राम ठीकरदा पर आने जाने व संसाधन लाने ले जाने हेतु सिवायचक भूमि खसरा संख्या 124मि0 की उत्तरी सीमा पर खसरा संख्या 124/3 के सहारे पूर्व से पश्चिम में खसरा संख्या 126/2870 तक 15 फिट चौडा रास्ता घोषित किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में रास्ता दर्ज किया जावे एवं रास्ते की राजस्व लठा नक्शा में रास्ते के रूप में तरमीम करवाई जाकर मौके पर रास्ता सुचारू करवाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जर्ये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी सरकार की ओर से नायब तहसीलदार दबलाना की ओर से

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

त्रांक :–राजस्व/25/1095 दिनांक :–17.06.2025 से प्रस्तावित रास्ते के बाबत जॉच रिपोर्ट पेश की जो शामिल मिसल है।

हमने प्रार्थना पत्र पर वकील प्रार्थी की बहस सुनी जाकर बहस के दौरान प्रस्तुत तर्को पर मनन किया। वकील प्रार्थी ने दौराने बहस कहा कि प्रार्थी को अपनी खातेदारी भूमि खसरा संख्या 126, 126/2870 वाके ग्राम ठीकरदा पटवार मण्डल ठीकरदा में आने जाने हेतु भूमि खसरा संख्या 124 की उत्तरी सीमा पर खसरा सं0 124/3 के सहारे पूर्व से पश्चिम में जो कि राजकीय सिवायचक भूमि है, में से होते हुए 15 फुट चौडा रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में घोषित किया जावे। इस बाबत नायब तहसीलदार दबलाना द्वारा जो प्रस्तावित रास्ता बताया गया है, उसकी घोषणा की जावे। प्रार्थी इस बाबत निर्धारित प्रतिकर राशि जमा कराने को तैयार है। प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार फरमाया।

हमने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन कर ध्यानपूर्वक मनन किया गया। प्रकरण मे नायब तहसीलदार दबलाना द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। नायब तहसीलदार दबलाना द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में प्रार्थी को अपनी खातेदारी भूमि खसरा सं0 126/2870 वाके ग्राम ठीकरदा में आने जाने हेतु खसरा संख्या 105 गै0मु0 रास्ते से होते हुये खसरा सं0 118 गै0मु0 पहाड में से होते हुये खसरा सं0 2969/124 राजकीय सिवायचक भूमि में से 15 फिट चौडा रास्ता प्रस्तावित किया गया है। उक्त रास्ता मौके पर बना होकर चालू है व प्रार्थी की भूमि पर पहुंचने के काम आ रहा है उक्त रास्ता लघुतम है, उक्त रास्ते के अलावा प्राथी के पास अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है। रास्ते में आने वाली भूमि रामगढ विषधारी अभ्यारण से प्रभावित है।

–: क्रियात्मक आदेश :–

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर प्रार्थी को अपनी खातेदारी भूमि खाता संख्या 90 के खसरा संख्या 126/2870 वाके ग्राम ठीकरदा पटवार मण्डल ठीकरदा में आने–जाने हेतु खसरा सं0 137 गै0मु0 नाले की सीमा तक नायब तहसीलदार दबलाना से प्राप्त प्रस्तावित रास्ते की रिपोर्ट अनुसार ग्राम ठीकरदा के खसरा संख्या 118 (गै0मु0 पहाड) में से कुल 4 मी0 चौडे व 160 मी0 लम्बे रास्ते में कुल 0.1133 हैक्टेयर भूमि व खसरा सं0 2969/124 राजकीय सिवायचक में से 4 मी0 चौडे व 124 मी0 लम्बे रास्ते में कुल 0.0480 हैक्टेयर भूमि काम में आवेगी। दोनो खसरा सं0 में से कुल 0.1613 है0 भूमि काम में आवेगी प्रस्तावित नक्शे अनुसार रास्ता घोषित किया जाता है। प्रस्तावित रास्ते में आने वाली भूमि की डीएलसी राशि 761000/रू– प्रति हैक्टेयर है जिसमें से प्रस्तावित रास्ते में

Email- sdohindoli@gmail.com Phone no-7436276446

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बून्दी (राज.)

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

ाने वाली भूमि 0.1613 हैक्टेयर भूमि की डी0एल0सी0 राशि 122749/रू– जिसकी दुगनी प्रतिकर राशि 245498/रू को निर्धारित मद में प्रार्थी द्वारा राजकोश में जमा करवाकर चालान प्रति न्यायालय में पेश करने उपरान्त निर्णय की पालना हेतु नायब तहसीलदार दबलाना को तहरीर जारी की जावे। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर बाद तकमील नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

निर्णय आज दिनांक :– 23.06.2025 को सरे इजलास खुलेआम सुनाया गया।

23/06/2025

(शिवराज मीणा)
आर0ए0एस
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बून्दी (राज.)

Email- sdohindoli@gmail.com Phone no-7436276446